International Journal of Applied Research 2016; 2(6): 700-703

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(6): 700-703
www.allresearchjournal.com
Received: 20-04-2016
Accepted: 21-05-2016

डॉ. प्रवीण के. गोठवाल
सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एच.एल.जी. राजकीय महाविद्यालय तावडू (मेवात) हरियाणा

Correspondence
डॉ. प्रवीण के. गोठवाल
सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एच.एल.जी. राजकीय महाविद्यालय तावडू (मेवात) हरियाणा

भारत में मानवाधिकार : बाल श्रम एवं बाल अपराध, समस्या एवं समाधान

डॉ. प्रवीण के. गोठवाल

सारांशिका
बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं उनकी समुचित देखभाल और विकास पर ही किसी राष्ट्र का विकास संभव है इन्हीं बच्चों के कंधों पर मानवता के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी जा सकती है। उन्हें भूख, गरीबी शोषण, श्रम, कुंठा आदि से बचाना परमावश्यक है ताकि उनका बचपन खुशहाल और संस्कारवान बन सके तथा वे आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें। किन्तु यह विडंबना है कि इन बच्चों में से एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसका जीवन संघर्षों एवं असामान्य परिस्थितियों में व्यतित होता है इस शोध का प्रमुख लक्ष्य यह है कि भारत में बालश्रम एवं बाल अपराध की समस्या किस प्रकार फैलती जा रही है तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं।

संकेताक्षर: बालश्रम, बाल अपराध, बंधुआ मजदूरी, कार्यस्थल, लैंगिक शोषण

प्रस्तावना
मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं तथा ये अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। मानवाधिकार व्यक्ति के सर्वांगिण विकास के लिए आवश्यक है तथा ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं इन अधिकारों को किसी सरकार द्वारा भी नहीं छिना जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की थी। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, दास प्रथा की समाप्ति तथा न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का अधिकार आदि शामिल हैं। इसके अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। [1] वास्तव में मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो मानव की प्रकृति में पाए जाते हैं इनके अभाव में व्यक्ति अपना सम्पूर्ण विकास नहीं कर पाता। भारत में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालयों का सृजन, मानवाधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया है जिससे मानवाधिकारों की और भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए अनेक कानूनों व नियमों के बावजूद आज मानवाधिकारों की रक्षा एक गम्भीर चुनौती बनती जा रही है। [2] मानवाधिकार लोकतन्त्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य प्रारम्भ से ही अन्याय के विरूद्ध और मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है वर्तमान समय में मानव बहुत सी ऐसी समस्याओं से पीड़ित है जिससे व्यक्ति का शोषण हो रहा है। इन समस्याओं में बालश्रम की समस्या केवल तीसरी दुनिया के देशों में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी बनी हुई है और यह समस्या निरन्तर गति से बढ़ रही है। [3]

सम्पूर्ण जगत में उत्साह एवं सपनों का सर्वोत्तम जीवन पुंज बालक को माना जाता है क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं वे राष्ट्र की धरोहर हैं इनकी समुचित देखभाल और विकास पर ही किसी राष्ट्र का विकास संभव है इन्हीं बच्चों के कंधों पर मानवता के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी जा सकती है। अत: उन्हें भूख, बिमारी, शोषण, श्रम, कुंठा आदि उत्पीड़न से बचाना अनिवार्य है ताकि उनका बचपन खुशहाल और संस्कारवान बन सके तथा वे आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें। किन्तु यह विडम्बना है कि इन बच्चों में से एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनका जीवन संघर्षों एवं असामान्य परिस्थितियों में बितता है।

इन समस्याओं में बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है जो विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती है यह समस्या भारत में भंयकर रूप ले चुकी है। कुछ लोग आवश्यकता के आधार पर तथा कुछ लोग फैशन के आधार पर श्रमिक रखना पसंद करते हैं जिनमें अधिकांश बाल श्रमिक होते हैं क्योंकि गरीबी के कारण हमारे देश में वो आसानी से मिल जाते हैं। [4] बालश्रम सदियों से चली आ रही शोषण परम्परा की एक कड़ी है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप मालिक-श्रमिक सम्बन्धों का जो समीकरण बना, उसी का विस्तृत रूप बालश्रम है। कितने दु:ख और निराशा की बात है कि जिन नौनिहालों की खेलने-कुदने, खाने-पीने तथा पढ़ने-लिखने एवं भविष्य बनाने के दिन होते हैं उन्हें उन्हीं दिनों में विषम एवं दयनीय परिस्थितियों में भूखे-प्यासे रहकर 12 से 14 घण्टे तक कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। इनके साथ ही उन्हें निर्दयी मालिकों की शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक यातना का शिकार होना पड़ता है। इन बच्चों को खेतों, लघु उद्योगों, कारखानों और बड़े-बड़े घरों में फर्श व गाड़ी साफ करने के साथ-साथ ढाबों में जूठी प्लेटें धोते हुए देखा जा सकता है। अकसर हर ढाबे या होटल में हमें एक छोटू दिखाई देता है। जो किसी न किसी मजबूरी से इस बाल श्रम का शिकार होता है। [5]

विकासशील देशों में अधिकांश बच्चे बहुत छोटी अवस्था से ही कार्य करना आरम्भ कर देते हैं। आंकड़ें बताते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में ही है। सम्भवत: देश में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिनमें बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जाता हो। परिणामस्वरूप बच्चे अपने स्वतन्त्र एवं खुशहाल बचपन के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। कई बच्चे तो अपने माता-पिता के साथ बिना मजदूरी के ही कार्य करते हैं। कुटीर उद्योगों में बच्चों की एक बड़ी संख्या कार्य कर रही है जैसे कालिन उद्योग, माचिस बनाना, बीड़ी, पीतल, हीरा, काँच, हौजरी, जरी, सिल्क उत्पादन, हथकरधा, कढ़ाई का कार्य, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उत्पादन, चूड़ी बनाना, खेल का सामान, पटाखा फैक्ट्री, ईंट भट्टे इत्यादि स्थानों पर भी बच्चे कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षा, भोजन, पानी और घर के अभाव में कार्यस्थल पर उनका भावनात्मक और यौन उत्पीड़न भी होता है। जिसके कारण उनका बचपन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।, तथा आगे चलकर ये किसी न किसी बिमारी का शिकार हो जाते हैं। [6]

इनके अतिरिक्त सूरत का काँच हीरा उद्योग, महसौर का स्लेट पैंसिल उद्योग, बिहार का बीड़ी उद्योग, खूर्जा का पाटरी उद्योग आदि अनेक ऐसे उद्योग हैं जहां बच्चे दिल दहला देने वाली अवस्थाओं में काम करते हैं इन उद्योगों के अलावा लाखों बच्चे खेतों, होटलों, ढाबों, भवन निर्माण, ईंट भट्टों आदि पर भी काम करते हैं। यहां पर इन बच्चों को कम या बिना मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है क्योंकि इनका वेतन माता-पिता द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी में कट जाता है। [7]

बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी शोषण रूपी रथ के दो पहिए हैं। जमींदार से लिया गया कर्ज ब्याज समेत व ब्याज पर ब्याज अदा करने के चक्कर में माता-पिता के साथ न चाहते हुए भी उनके बालक-बालिका भी आ जाते हैं। और इस कर्ज के बोझ तले उनका बचपन न जाने कहाँ खो जाता है। किशोर व युवा होने से पहले वो वृद्ध हो जाते हैं आर्थिक तंगी से उब कर बालक प्राय: शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं और यही क्रम निरन्तर चलता रहता है शहर की चमक दमक से उनका मोहभंग तब होता है जब वहां भी उन्हें वही काम करने पड़ते हैं यहां भी उनके सामने गरीबी, भूखमरी, बदनसीबी मुंह बाए खड़ी रहती है। शहर में तो वो घर परिवार से दूर फूटपाथ पर सोने को मजबूर हो जाते हैं। न ही उन्हें भरपेट खाना मिल पाता है और न ही माता-पिता का प्यार। बालश्रम के और भी अनेक कारण हैं जिनमें भूख, गरीबी, शिक्षा का आभाव, मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा न हो पाना, पारिवारिक कष्ट, औद्योगिकीकरण, फिल्में, नशाखोरी तथा उपेक्षित व्यवस्था इत्यादि। [8]

बच्चों के शोषण का एक अन्य रूप बाल वेश्यावृत्ति भी है। बाल वेश्यावृत्ति की खातिर बच्चियों की खरीद फरोख्त व अपहरण कर दूसरे राज्यों व दूसरे देशों में भी भेजा जाता है बाल वेश्यावृत्ति वास्तव में एक बहुत ही गम्भीर समस्या है नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर घर से भगा लाना और फिर उनको शहरों में लाकर वेश्यावृत्ति के काम में लगा दिया जाता है इसके अनेक उदाहरण हमें आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाकर इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया है। [9] राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस बुराई को रोकने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है इन विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में हमारे पड़ोसी देशों नेपाल व बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर वेश्यालयों में भेजा जा रहा है। पैसा कमाने की खातिर छोटे-छोटे बच्चों की तस्करी व उनको अपंग बनाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। [10]

खाड़ी देशों में शेख और अमीर व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए बच्चों का प्रयोग करते हैं उनके इस मनोरंजन की खातिर हजारों बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत से आतंकवादी संगठन बच्चों का अपहरण करके उनके जबरन फिदायीन और आतमघाती हमलों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब व अशिक्षित परिवार के बच्चे शोषण व यन्त्रणा का शिकार होते हैं। बल्कि सम्पन्न परिवारों के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनके बच्चे भी परिवारों और स्कूलों द्वारा शोषण और यन्त्रणा का शिकार होकर मानसिक तनाव जैसी बिमारियों से पिड़ित हो जाते हैं। [11]

बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिनसे मुख्यत:

1901 खदान अधिनियम

1911 फैक्ट्री अधिनियम

1923 भारतीय खाद्य अधिनियम

1926 फैक्ट्री संशोधन अधिनियम
1931 भारतीय बन्दरगाह अधिनियम संशोधन
1933 बाल बंधुआ एवं श्रम अधिनियम
1934 फैक्ट्री अधिनियम
1935 भारतीय खदान अधिनियम
1938 बाल रोजगार अधिनियम
1948 फैक्ट्री अधिनियम
1951 बाल श्रम अधिनियम
1952 खदान अधिनियम
1958 व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम
1961 मोटर ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम
1966 बीड़ी और शिगार मजदूर अधिनियम
1978 बाल रोजगार अधिनियम
1986 बाल श्रम नियमन एवं उनमूलन अधिनियम। [12]

इन अधिनियमों के अलावा भी भारत सरकार ने भारतीय संविधान में बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं- भारतीय संविधान निर्माताओं ने सुरक्षित बाल्यावस्था और बाल अधिकारों के संरक्षण को भारतीय लोकतन्त्र की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की धारा 39(एक) में कहा गया है कि 'स्वस्थ ढंग से विकास के लिए बच्चों को स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं तथा शोषण एवं नैतिक और भौतिक तिरस्कार के विरूध बच्चों और युवाओं को संरक्षण दिया जाता है। सामाजिक न्याय के मूल्यों को दोहराते हुए इसमें कहा गया है कि 'श्रमिकों पुरूषों, स्त्रियों तथा बच्चों की कोमल स्थिति का गलत प्रयोग नहीं किया जा सकता और नागरिकों को आर्थिक विवशताओं के कारण ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है जो उनकी आयु तथा शक्ति के प्रतिकूल हो। [13]

भारतीय संविधान में बालश्रम और बाल अपराध को रोकने के लिए भी कुछ अन्य प्रावधान किए हैं -

अनुच्छेद 15(3) में बच्चों व महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं।

अनुच्छेद 19(1) में छः प्रकार की स्वतन्त्रता दी गई है जिसमें बोलने, इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, आन्दोलन करने की, रोजगार की व कहीं भी बसने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 23(1) में बालकों का क्रय विक्रय एवं उनके द्वारा अनैतिक कार्य करवाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की बात कही गई है।

अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु की बालकों को कारखानों, मीलों आदि ये कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अनुच्छेद 28(1) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जब तक की उनके माता पिता उनकी स्वीकृति प्रदान न करें।

अनुच्छेद 39 में सरकार द्वारा अपनी नीति इस प्रकार संचालित करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और उनके स्वास्थ्य और विकास के अवसर व सुविधाएं उपलब्ध हो।

अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

अनुच्छेद 350 (ए) में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्राप्त होनी चाहिए।

86वां सवैधानिक संशोधन 2002 करके अनुच्छेद 21(ए) में यह प्रावधान किया गया है कि 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य; मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह इन बच्चों का मौलिक अधिकार है। [14]

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा भी बालकों को कुछ प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं जैसे -

1. प्रत्येक बालक को जीवन का अर्न्तनिहित अधिकार प्राप्त है
2. बालक का जन्म होते ही उनका जन्म रजिस्टर कराया जाए और उसे जन्म से ही एक नाम दिये जाने का अधिकार होगा तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
3. जब न्यायालय या कल्याणकारी संस्थाएं बालकों के मामले देख रहे हों तब उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि बालकों का सर्वोत्तम कल्याण ही उनका प्रमुख मुद्दा हो।
4. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बालक बिना किसी भेदभाव के सभी अधिकारों का उपयोग करेंगे।
5. बालकों की देखभाल की जिम्मेदारी माता-पिता की होगी परन्तु राज्य उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
6. राज्य ऐसे बालकों को जिनके माता पिता नहीं हैं उनके उचित देखभाल की व्यवस्था करेंगे।
7. बालकों को स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर तक का अधिकार है।
8. प्राथमिक शिक्षा निःशूल्क एवं अनिवार्य होगी।
9. बालकों को अगवा कर लेना, अपहरण व उनके अवैध व्यापार के विरूद्ध राज्य सभी प्रकार के कदम उठाएगा।
10. हिरासत में लेने पर उन्हें बड़ों से अलग रखा जाएगा।

ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में किए गए हैं जिनसे बच्चों को उनके प्रमुख अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे और उनका सर्वांगिण विकास सम्भव होगा। [15]

निष्कर्ष

मानवाधिकारों के लागू होने, जेनेवा घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय तथा भारत सरकार की बाल नीति लागू होने के इतने वर्षों बाद भी भारत सरकार व समाज उपेक्षित बचपन एवं बालश्रम तथा बाल अपराधों के प्रति उदासीन है। मानवाधिकार आयोग के साथ ही सोये हुए समाज को भी जागरूक एवं चेतन करना होगा। इतनी योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, विधि निर्माण होने के बावजूद भी भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। अधिकांश माता-पिता उनकी उपेक्षा करते हैं, देखभाल करने वाले उन्हें मारते पिटते हैं मालिक उनके साथ दुर्व्यवहार, यहां तक की उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है अतः विषय पर गम्भीरता से चिन्तन की आवश्यकता है। और साथ ही यह कार्य केवल राज्य या सरकार का ही नहीं है। बल्कि पुरे समाज को ही प्रयास करना होगा। हमें उपयोगितावादी और सामंतवादी संस्कृति से मुक्त होकर विस्तृत मानसिकता को ग्रहण करना होगा जिससे हमें नन्हें बच्चों के बचपन को बचा सकें क्योंकि बच्चों के विकास पर ही राष्ट्र का विकास निर्भर करता है।

संदर्भ सूची

1. अंजली त्रिपाठी, महिलाएं और मानवाधिकार, हिन्दुस्तान, दिल्ली, 3 जून 2012
2. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, मानवाधिकार और बालश्रम, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2003, पृ. 42-43
3. एस.एन. योगिस, ''ह्यूमैन राईटस ऑफ चिलर्डन'', नीराभारी होकी, (सम्पा) ह्यूमैन राईटस एण्ड द लॉ, सिरियल्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 133
4. यशी अवस्थी, बाल श्रम, न्यू आऊटलुक, 2013, पृ. 53
5. सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, संख्या 2, पृ. 44-45
6. चंदा आर्य, ''बाल श्रमः एक विडम्बना'', योजना, नवम्बर, 2012, दिल्ली, पृ. 45
7. श्री निवास गुप्ता, ''ह्यूमैन राईटस एण्ड द चाईल्ड वर्कर्स : एन ओवरव्यू'', संतोष खन्ना (सम्पा.) ह्यूमैन राईटस टू-डे, विधि भारती परिषद, नई दिल्ली, 2001, पृ. 168-170
8. कैलाश नाथ गुप्त, मानवाधिकार और उनकी रक्षा, आदिराम प्रकाशन, दिल्ली 2004, पृ. 36-37
9. श्री निवास गुप्ता, संख्या 07
10. अमीत मलिक, ''ग्लोबालाईजेशन एण्ड चाईल्ड ट्रेफिकिंग इन इंडिया'', थर्ड कॉन्सेप्ट, वा. 28, न. 30, अगस्त 2014, पृ. 52-54
11. राम सिंह सैनी, समकालिन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का विविध आयाम, गगनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 2007, पृ. 57-65
12. जोसफ बैनजामिनन, ''राईट्स ऑफ द चाईल्ड मैनीफेस्टेशन एण्ड फोरम्स ऑफ वायलेशनस,, ए.पी. विजापुर (संपा), इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन राइट्स इन द थर्ड वर्ल्डः ऐसे ऑन ह्यूमन राइट्स, दलितस एण्ड माइनोरटिस, मानक, नई दिल्ली, 2008,, पृ. 236-237
13. शांता सिन्हा, बाल अधिकारों का संरक्षण, योजना, नवम्बर 2012, वर्ष 56, अंक 11, नई दिल्ली, पृ. 7
14. जोसफ बैन्जामिन, ''राईट्स ऑफ दि चाईल्ड मनीफसटैशन, एण्ड फोरम्स ऑफ वाईलेंसस'', अब्बुल रहमान पी. विजापुर, (सम्पा.) इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमैन राईटस् इन द थर्ड वर्ल्डः असेज ऑन ह्यूमेन राईट्स दलितस एण्ड माईनोरटिज, मानक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृ. 236
15. कैलाश नाथ गुप्ता, संख्या 8, पृ. 34-35